न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 254/2014

बउनवान

भवानीशंकर पुत्र रामगोप जाति–मीणा निवासी–हरिपुरा
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्द बघेरवाल, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 16.11.2017

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 24.2.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–हरिपुरा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 226 रकबा 1.50 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 825/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है ना हीं उसके विरूद्व कोई सरकारी तावान बकाया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.2.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट वर्तमान में सरपंच है। द्वैषता की वजह से कुछ लोगों ने हल्का पटवारी को झूठी शिकायत की है। अपीलांट

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

ने कई वर्षो पूर्व से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। भूमि पडत पडी हुई है। अपने कथन के समर्थन में हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 8.11.2016 पेश की। साथ हीं निवेदन किया कि हल्का पटवारी ने बिना मौका व कब्जे की जॉच किये मिथ्या रिपोर्ट तहसीलदार, बारां को प्रस्तुत की है, इसी आधार पर उक्त आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 24.2.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 306/13 निर्णय दिनांक 22.2.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 8.11.2016 से विदित है कि सम्वत् 2071 से 2073 तक अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जो पशुधन के उपयोग व उपभोग के लिये आरक्षित है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 306/13 निर्णय दिनांक 22.2.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत चारागाह भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 236/14 में पारित आदेश दिनांक 24.2.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)